संख्या-8/2016/224 /एक-6-2016-135(01)/2015

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2016**

विषय: राजस्व परिषद कार्यालय लखनऊ, इलाहाबाद में सृजित सहायक समीक्षा अधिकारी के 29 पदों को समर्पित करते हुए कम्प्यूटर सहायक के 29 पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1655-आर-1-338जी(1)/86, दिनाक 23-01-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद कार्यालय के टंकक के पदो को अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन किये जाने के उपरान्त टंकक कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अवर वर्ग सहायक पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ जाने के कारण चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। राजस्व परिषद कार्यालय में कार्यरत कार्मिको की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रितो की भर्ती राजस्व परिषद कार्यालय में नही हो पा रही है। वर्तमान में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृति एवं समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी के 49 पद रिक्त है

2- अत: वर्णित स्थिति में श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन राजस्व परिषद कार्यालय में वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड रू0 4600/- में सृजित सहायक समीक्षा अधिकारी के 29 पदो को समाप्त करते हुए वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400 में कम्प्यूटर सहायक के 29 अस्थायी पद आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 29-02-2016 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त पद धारको को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(2) उक्त पद सृजित होने के फलस्वरूप राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद में स्थायी रूप से स्वीकृत सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में सृजित पदो में से 29 पद समाप्त हो जायेगे।

(3) उक्त सृजित होने वाले पदो में से चतुर्थ श्रेणी के कार्मिको की पदोन्नति हेतु पद संख्या का निर्धारण कार्मिक विभाग की सुसंगत शासनादेशों एवं कार्मिक विभाग के परामार्श से किया जायेगा। समूह "घ" के पदों से लिपिकीय पदों पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत नियमावली, 2001 का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष पदो पर भर्ती मृतक आश्रितो से की जायेगी।

(4) मृतक आश्रितों की नियुक्ति को चतुर्थ श्रेणी के कार्मिको की प्रोन्नति के लिए जो विधि सचिवालय के लिए निर्धारित की गयी है, उसी के अनुससार पद भरे जायेगे।

(5) समूह "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं सेवाकाल में मृत कार्मियो के आश्रितो की भर्ती के सम्बन्ध में " उत्तर प्रदेश सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली, 2013 प्राविधान दिये गये हैं। समूह "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं राजस्व परिषद में मृतक आश्रितो की भर्ती इन प्राविधानों अन्य समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों/विनियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-52 के अधीन लेखाशीर्षक -2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-099 राजस्व बोर्ड-03 राजस्व परिषद की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-137/दस-2016 दिनांक 12 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव।

संख्या-8/2016/224(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5
5- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।